



Neutral Citation No. - 2026:AHC:34575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2354 वर्ष 2026

श्रीमती चिन्ता सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता	: अजीत कुमार सिंह
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. श्री अजीत कुमार सिंह, याची के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री राहुल मालवीय, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याची का कथन है कि याची के पति, स्वर्गीय मंगल सिंह, जो कि पशु चिकित्सालय सदर, बलिया में पशु औषधि सहायक के पद पर कार्यरत थे, दिनांक 12.06.2017 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए औषधि कक्ष में उपस्थित थे, उसी समय कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग्नेयास्त्र से उनकी हत्या कर दी गई, जिसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। याची, मृतक की विधवा होने के नाते, दिनांक 08.12.2008 के शासकीय आदेश के अंतर्गत एकमुश्त अनुग्रह अनुदान की मांग करती है।
3. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कथन है कि याची के दावे का प्रथम दृष्टया परीक्षण एवं निर्णय प्रत्यर्थी संख्या-3 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याची, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न करते हुए प्रत्यर्थी संख्या-3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उक्त प्राधिकारी विधि के अनुरूप, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर याची के दावे पर निर्णय करेगा।

दिनांक : 17 फरवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”